



02	526	0.09	2.13	'21773 U2
03	101	0.10		'19170 U2
04	244	0.16	1.81	'23712 U2
05	180	0.76	1.53	'19256 U2
06	37	0.76	1.53	'19256 U2
07	430	0.00	1.53	'19256 U2
08	143		1.52	'23571 U2

UNITED BUILDING OF J PRASAD K PRASAD S BRUNIAN PRASAD, UDATPUR, THANA NO.-31, PLOT NOG-67(F) A(BHAR)		SCALE 1:100	SHEET NO. 01/01	R.K ACRAWAL Lic. No. ENG. (CMB) Panna Road, Panna, India.
--	--	----------------	--------------------	---

[illegible]

1018 second year
Control Regulations for Pests
(Dyke 194) of Insects
91. 1918. 1918. 1918. 1918.
1918 on Date. 16.02.1918.
The year (1918) 1918
March 1917 50 vol. of 1918
1918 1918 1918 1918
1918 1918 1918 1918
1918 1918 1918 1918

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)

पाँचवाँ तल्ला, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

पटना का मुख्यालय भवन, हॉस्पिटल रोड,

शास्त्री नगर, पटना - 800023

सं०सं०- PMAA/PRN $\frac{Udaipur}{Phulwari}$ / G+4/124/2018 - 73

पटना, दिनांक- 16.5.2019

प्रेषक,

प्रभारी निदेशक,
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,
बिहार पटना।

सेवा में,

SMT NEELU PRASAD,
D/o:- Sidheshwar Prasad
Sri Vidya Bhushan Prasad,
S/o - Sri Brij Nandan Prasad,
New Patliputra Colony,

विषय:- प्लान केस संख्या- PMAA/PRN $\frac{Udaipur}{Phulwari}$ / G+4/124/2018 की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन सं० PMAA/PRN $\frac{Udaipur}{Phulwari}$ / G+4/124/2018 दिनांक- 16.4.2019 संदर्भ में श्रीमती नीलू प्रसाद D/O- Sidheshwar Prasad, Sri Vidya Bhushan Prasad, S/o- Sri Brij Nandan Prasad, न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी पटना बिहार, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार/आयोजना स्कीम/पटना मास्टर प्लान 2031 के आलोक में मौजा- विशुनपुर पकड़ी, थाना- फुलवारी, थाना सं०-31, प्लॉट संख्या- 87(अंश) Tauzi No- 5343, खाता सं०- 129 जिला, पटना में आवासीय भवन, G + 4 दिनांक- 16.4.2019 को स्वीकृतार्थ नक्शा के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्बंधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

1. भूमि/भवन का उपयोग अन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
2. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
3. अनुमोदन योजना में दर्शाया गया 696.00m² वर्गमीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
4. प्रश्रुत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

5. भूखण्ड के सामने 9.80मी० से 11.30मी० चौड़ी सड़क अवस्थित है।
6. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
7. इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी की अधिकार हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
8. योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।
9. भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
10. श्रम सेस के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग/श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों का अनुपालन निर्माणकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
11. निर्माणकर्ता को प्राधिकार के विनिर्देशों के अनुसार मल जल निकास जल निकास सड़क आदि जैसे संयोजन स्थल पर और स्थल के बाहर आधारभूत संरचना का बिहार भवन उपविधि 8(5) के आलोक में विकास करना होगा।
12. समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत आदेशों एवं नीतियों का विस्तृत रूप में पालन करना अनिवार्य होगा।
13. स्थल पर Rainwater Harvesting का प्रावधान निश्चित रूप से करना होगा।
14. बिहार भवन उपविधि 2014 एवं पटना मास्टर प्लान 2031 के साथ DCR में प्रावधानित के अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न करना होगा।

विश्वासभाजन,

Vams
14-5-19

Vams
प्रमोरी निदेशक, 16/5/19
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,
बिहार, पटना।